न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS
पत्रावली संख्या : 153/14 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री अमरचन्द पिता चुनीया चमार निवासी सनवाड तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री छोगालाल मुतबन्ना हरिया चमार निवासी सनवाड तह. मावली।
2. दाखी पिता चुनीया चमार निवासी सनवाड तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 31.01.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 214, 271, 284, 279, 280, 288, 289, 291 किता 8 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी, विपक्षी सं. 2 व खातेदार मु. मोडी बेवा चुन्या के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार एवं विपक्षी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा, खातेदार उदा पिता टेका के नाम 1/4 हिस्सानुसार दर्ज है। खातेदार मु. मोडी बेवा चुन्या का स्वर्गवास हो चुका हैं जिसके वारिस प्रार्थी व विपक्षी सं. 2 है तथा खातेदार उदा पिता टेका लाऔलाद फौत हो चुका हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व विपक्षी नम्बर 2 का 1/2 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार वर्तमान में मौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात में विपक्षी नम्बर 1 व स्व. उदा पिता टेका का कोई हक व अधिकार नहीं है, न कब्जा हैं। पूर्व में उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में अमरचन्द मु. चुनीया, दाखी पिता चुन्या, मु. मोडी बेवा चुन्या चमार के नाम पर संयुक्त रूप से बराबर हिस्सानुसार दर्ज हैं।
3. यह कि राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी आधार के व बिना किसी अधिकार के उक्त आराजीयात में अमरचन्द मु. चुन्या मु. दाखी पिता चुनीया मु. मोडी बेवा चुन्या 1/2 हिस्सा, छोगालाल मु. हरिया 1/4 हिस्सा, उदा पिता टेका 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया है, जो गलत है। छोगालाल मुत. हरिया व उदा पिता टेका का उक्त आराजीयात में

Scanned with CamScanner

कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है, न कब्जा ही रहा हे और न ही हमने कभी उक्त जमीन इन्हे बेची हैं। वास्तव में उक्त आराजीयात में मुझ प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, मु. दाखी पिता चुनीया का 1/3 हिस्सा, मु. मोडी बेवा चुन्या का 1/3 हिस्सा है। मु. मोडी का हिस्सा उसकी मृत्यु के बाद मु. मोडी के पुत्र प्रार्थी व पुत्री मु. दाखी में निहित हुआ जिससे उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी 1/2 हिस्सानुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। इस तरह उक्त आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा, विपक्षी सं. 2 का 1/2 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार काबिज हो उपयोग उपभोंग करते चले आ रहे हैं जिसमें विपक्षी सं. 1 व उदा पिता टेका का कोई हक अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजीयात में विपक्षी सं. 1 व उदा पिता टेका का नाम गलत इन्द्राज कर दिया व उदा पिता टेका की मृत्यु हो चुकी है, जबकि उक्त आराजी में विपक्षी सं. 1 एवं उदा पिता टेका का कोई हक व हिस्सा नहीं था, न कब्जा था, राजस्व रेकार्ड में विपक्षी नम्बर 1 व उदा पिता टेका नाम गलत दर्ज किया गया हैं। विपक्षी नम्बर 1 व उदा का उक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नहीं है, न कब्जा है, फिर भी विपक्षी नम्बर 1 के नाम 1/4 हिस्सा व उदा पिता टेका के नाम 1/4 दर्ज कर दिया है जो गलत है तथा बिना अधिकार के है जो हमारे मुकाबले शुन्य व निष्प्रभावी है इस गलत इन्द्राज के आधार पर विपक्षी नम्बर 1 व उदा पिता टेका को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसलिए विपक्षी नम्बर 1 व उदा पिता टेका का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाना आवश्यक हैं।

5. यह कि अभी इस गलत इन्द्राज के आधार पर विपक्षी नम्बर 1 अपने नाम दर्ज हिस्से को एवं मृतक उदा पिता टेका के नाम दर्ज हिस्से को अपने नाम पर दर्ज करा उक्त सम्पूर्ण हिस्से को भूदलालों को बेचने की बातचीत करने लगा, जिस पर प्रार्थी ने उक्त आराजी की जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो मालूम हुआ कि विपक्षी नम्बर 1 व उदा पिता टेका के नाम गलत इन्द्राज हो गया है व इस गलत इन्द्राज के सम्बन्ध में पुराना रेकार्ड निकाला तो मालूम हुआ कि इनका नाम बिना किसी अधिकार के राजस्व अधिकारियों द्वारा अंकित कर दिया है, जबकि राजस्व अधिकारियों को पुराने इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए। राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना अधिकार के कथित गलत इन्द्राज किया है जो प्रार्थी के विरूद्व बेअसर व शुन्य हैं।

6. यह कि विपक्षी नम्बर 1 गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए भूमि दलालों को विक्रय, हस्तान्तरण करने पर आमादा है व मना करने पर भी नहीं मान रहा है तथा मृतक उदा पिता टेका के लाऔलाद फौत होने से उसके हिस्से की जमीन को भी अपने नाम पर अंकित कराने पर उतारू हो रहा है अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना व विपक्षी नम्बर 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाबंद कराना आवश्यक है वरना विपक्षी नम्बर 1 प्रार्थी की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर लेगा व अन्य को विक्रय, हस्तान्तरण कर देगा जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी। Achay

Scanned with CamScanner

7. यह कि प्रार्थना पत्र कारण तारीख 05.07.2014 को पैदा हुआ जब कि विपक्षी सं. 1 ने हमारे कब्जे काश्त की जमीन पर अनाधिकार रूप से कब्जा करने की कोशिश की व प्रार्थी के मना करने पर भी नहीं माना व धमकी दी कि जमीन मेरे खाते दर्ज है, अतः इसे विक्रय करूंगा, तुम मेरा कुद नहीं कर सकते हो, ज्यादा किया तो जमीन पर कब्जा भी कर लेगें।

8. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे और मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे तथा विपक्षी सं. 3 से 5 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी सं. 1 उक्त आराजीयात के संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन या नामान्तरकरण खुलाने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद उसका पंजीयन नहीं करे, न नामान्तरकरण खोले और ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

9. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने गलत एवं मिथ्या कथनों पर वाद प्रस्तुत किया है उसमें प्रार्थी को सफलता हासिल नहीं होगी और वह अन्ततः सव्यय खारिज होगा। उक्त वर्णित जमीन सनवाड के नाहरसागर में स्थित हैं। उक्त जमीन पूर्व में टेका, चुना पिता चोखा के खातेदारी की थी। टेका, चुना दोनों सगे भाई थे टेका जी के दो लडके हुए जिनके पहले पुत्र का नाम हरिराम था, दुसरे पुत्र का नाम उदा जी था। इसी तरह चुना के कोई लडका नहीं था उसके केवल एक ही लडकी थी जिसका नाम दाखी हैं। प्रार्थी अमरचन्द उसी दाखी का लडका है और चुनीया जी का दोहिता होकर वह उनके गोद आया हैं। हरिराम जी के भी एक लडका मांगीलाल था जिसका हरिराम जी की मौजुदगी में ही स्वर्गवास हो गया इस पर मुझ छोगालाल को हरिराम जी ने गोद लिया इसलिए मैं छोगालाल, हरिराम जी का गोदीना पुत्र हुं। प्रार्थी स्वयं ने ही प्रार्थना के अनवान में मुझ छोगालाल को हरिराम का गोदीना पुत्र माना है। हरिराम जी का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए हरिराम जी का 1/4 हिस्सा मुझ प्रार्िी के नाम पर सही दर्ज हुआ है। इसी तरह उदाजी के कोई लडका नही था केवल एक लडकी ही थी इसलिए उदा जी ने अपने जीवनकाल में ही चल अचल सम्पति का वसीयतनामा मुझ छोगालाल के पक्ष में कर दिया तथा उनकी पत्नी, उनकी बच्ची ने भी अपनी सहमति उसी वसीयत में लिख दी। उदाजी का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए उदाजी का 1/4 हिस्सा भी मुझ प्रार्थी में निहीत हो गया हैं। इस तरह उक्त कुलिया सम्पति में मुझ छोगालाल का 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थी

Akshay

Scanned with CamScanner

अमरचन्द का 1/4 तथा दाखी का 1/4 हिस्सा है और उसी अनुसार मौके पर कब्जा चला आ रहा है। इसी तरह प्रार्थी का यह लिखना कि उदा पिता टेका लाऔलाद फौत हुआ गलत हैं।

10. यह कि उक्त आराजीयात में प्रार्थी का केवल 1/2 हिस्सा नहीं होकर 1/4 हिस्सा है तथा विपक्षी सं. 2 का भी 1/2 हिस्सा नहीं होकर 1/4 हिस्सा हैं। बाकी 1/2 हिस्सा मुझ विपक्षी सं. 1 छोगालाल का है जिस पर मुझ विपक्षी का ही कब्जा हैं। मुझ विपक्षी सं. 1 छोगालाल का 1/4 हिस्सा था तथा उदा का भी 1/4 हिस्सा था उसके मरने के बाद रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा उसका 1/4 हिस्सा भी मुझ छोगालाल में निहित हो गया है इस तरह मुझ छोगालाल का 1/2 हिस्सा है व उस पर मेरा कब्जा हैं। उदा व मुझ छोगालाल का 1/4, 1/4 हिस्सा सही दर्ज हुआ है और उदा ने मेरे पक्ष में वसीयत सही की हैं। वसीयत के आधार पर उदा की जमीन को मैं छोगालाल वसीयत के आधार पर उसका 1/4 हिस्सा मेरी खातेदारी में घोषित कराने का अधिकारी हुं। प्रार्थी मुझ विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। अन्त में प्रार्थी की प्रार्थना है जो पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

11. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:-

1. *प्रथम दृष्टया मामला-* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम सहखातेदार के रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीया व विपक्षी सं. 1, 2 दोनो ही खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा का वाद विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी व विपक्षी सं. 1, 2 दोनो खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन-* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी व विपक्षी सं. 1, 2 दोनो खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

Scanned with CamScanner

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी सं. 1, 2 के नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षी सं. 1, 2 के नाम पर दर्ज होकर प्रार्थनाग्रस्त भूमि सामलाती हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पूर्व में टेका व चुना के नाम पर दर्ज थी, जिसमें टेका के दो लडके हरिराम व उदा हुए। चुना के केवल एक लडकी विपक्षी सं. 2 दाखीबाई हुई। प्रार्थी विपक्षी सं. 2 का पुत्र हैं। टेका का पुत्र हरिराम के एक लडका मांगीलाल था जिसका हरिराम की मौजूदगी में ही स्वर्गवास होना बताया। इस पर विपक्षी सं. 1 छोगालाल को हरिराम ने गोद लिया व गोद के आधार पर हरिराम जी की भूमि पर छोगालाल जी काबिज हुए। उदा जी के कोई पुत्र नहीं होने से उदा जी द्वारा दिनांक 11.10.2002 को रजिस्टर्ड वसीयत पत्र छोगालाल के पक्ष में निष्पादित कर दी, जिससे उदा जी का 1/4 हिस्सा भी छोगालाल में निहित हो गया, इसी अनुसार छोगालाल का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा होना बताया हैं। शेष 1/4 हिस्सा अमरचन्द व 1/4 हिस्सा विपक्षी सं. 2 दाखीबाई के होकर इसी अनुसार मौके पर काबिज होने का कथन किया हैं।

14. चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हैं। विपक्षी खातेदार काश्तकार हैं। यदि खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो खातेदार के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। खातेदारी सम्बन्धित बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Scanned with CamScanner